

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/1080/476/2020/अ-तेहत्तर
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 08 2020

उद्योग आयुक्त,
(स्वरोजगार योजना कक्ष)
उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
भोपाल।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना /मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत अन्य विभागों को सीधे राशि आवंटित करने विषयक।

संदर्भ:-उद्योग संचालनालय की एकल नस्ती क्रमांक 1/स्वरो/5/3-ब/2020-21, (जावक दिनांक 02.07.2020)

विषयांकित में विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार परामर्श दिया गया है:-

"स्वरोजगार योजनाओं के संचालन हेतु एक पूल खाते संधारण पर सहमति है, बशर्ते कि विभाग विभिन्न स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के विरुद्ध व्यय का योजनावार व्यय सुनिश्चित करें, साथ ही जिले-वार लक्ष्य पूर्ति हेतु राशि समानुपातिक रूप से उपलब्ध रहें।

पूल खाते में अग्रिम आहरण कर राशि तभी जमा की जाए, जब उसका अंत शेष रूपसे 10.00 करोड़ से कम हो। एक बार में अधिकतम रूपसे 10.00 करोड़ का ही अग्रिम आहरण अनुमत्य होगा।"

2/ उपरोक्त परामर्श वित्त विभाग द्वारा अपने यू.ओ. क्रमांक 258/आर-299/बी-2/iv, दिनांक 19.08.2020 से प्रदान की गई है।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
भोपाल, दिनांक 2 08 2020

पू.क्रमांक/1081/476/2020/अ-तेहत्तर
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश विन्ध्याचल भवन, भोपाल,
5. अवर सचिव (नोडल अधिकारी) वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
6. फाईल फोल्डर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सहायक उद्योग संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष), उद्योग संचालनालय,
भोपाल- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग